भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 437/आई0 एन0 एस0 टी0/2015–सी0 सी0 एस

दिनांकः 9 अक्तूबर, 2015

सेवा में

1. सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष/चेयरपर्सन/महासचिव,
2. बिहार मे निर्वाचन लड़ने वाले सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष/चेयरपर्सन/महासचिव

विषयः– बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन– आदर्श आचार संहिता – निर्वाचन अभियान में उच्च स्तर बनाए रखना –तत्संबंधी ।

महोदय/महोदया,

आयोग ने बिहार विधान सभा के चल रहे साधारण निर्वाचन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और अभ्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक भाषणों के गिरते स्तरों के प्रति तीव्र आक्रोश एवं चिंता व्यक्त की है । जबकि आयोग ने अभी हाल ही में 27 सितम्बर, 2015 को राजनीतिक दलों को दिशा–निर्देश/एडवाइजरी जारी की है फिर भी स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है । राजनीतिक भाषणों का लहजा आपसी नफरत, असामंजस्य या दुर्भावना उत्पन्न करने की योजना बना कर दिया गया पाया गया है और इन भाषणों का उद्देश्य धर्म, जाति एवं समुदाय के आधारों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिकों के वर्गो के बीच मतभेदों को बढ़ाना रहा है, जो करने के लिए आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और अभ्यार्थियों को मना करती है ।

आयोग बिहार के वर्तमान विधान सभा निर्वाचनों के राजनीतिक दलों के नेताओं और अभ्यर्थियों को याद दिलाना चाहेंगा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत गारंटित भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार सम्पूर्ण नहीं है और इसका इस रीति से प्रयोग किया जाना आपेक्षित है कि यह, अन्य बातों के साथ–साथ, मर्यादा और नैतिकता की सीमाओं को न लांघे या सार्वजनिक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त न करे या मानहानि के सरीखे न हो या अपराध को न उकसाता हो ।

आयोग गडख यशवंतराव कनकराव बनाम ई एस बालासाहेब विखे पाटिल (ए आई आर 1994 एस सी 678) में माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की ओर सभी राजनीतिक दलों उनके नेताओं और अभ्यर्थियों का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहेगा यथा "सभी राजनीतिक दलों के राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तरों पर नेतृत्व के शीर्ष तंत्रों की यह ड्यूटी है कि वे वाछनीय मानकों को अपना कर निर्वाचकों को जरूरी जानकारी देने की ऐसी प्रवृत्ति निर्धारित करें ताकि वह निचले स्तरों तक प्रसारित हो सके और उससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सौहार्दपूर्ण

वातावरण उत्पन्न हो सके । शीर्ष नेताओं द्वारा भाषणों की प्रतिकूल प्रवृत्ति से निर्वाचन अभियान के विकृत हो जाने की प्रवृत्ति हो जाती है क्योंकि वह निचले स्तरों तक फैल जाता है और कभी–कभी तो हिंसा को भी बढ़ावा मिलता हैं ओर जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है । इस अहितकर प्रवृत्ति का बढ़ना लोकतंत्र के सुचारू कार्यकरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और यह सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की ड्यूटी है कि वे इस प्रवृत्ति को रोकें ताकि लोकतंत्र के कार्यकरण को गतिशील बनाकर उपयुक्त दिशा में ले जाया जा सके ।"

इसलिए आयोग सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं तथा निर्वाचन लड़नें वाले अभ्यार्थियों से पुरजोर आह्वान एवं अपील करता है कि वे अपने निर्वाचन अभियान भाषणों में अत्यधिक संयम एवं मर्यादा का पालन करें और निर्वाचन अभियान में आचरण एवं व्यवहार के उच्च मानकों को बनाए रखने के मामले में भावी निर्वाचनों के लिए एक उदाहरण निर्धारित करें ।

भवदीय,

ह0/–

(के. अजय कुमार)

प्रधान सचिव